

Draft regulations are published online to invite public comments/ feedback prior to enactment of draft regulation and how they were addressed in the final regulation.

This has been mandated as per attachment provided below (Page 2).

Arrangements for the same is also available in various departmental websites viz . –

Infrastructure and Industrial Development Department:

<http://udyogbandhu.com/PublicOpinion.aspx>

Commercial Tax

<http://164.100.181.42/publicopinion/>

Uttar Pradesh Pollution Control Board

http://www.uppcb.com/public_consultation.htm

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य कर/ऊर्जा/निबन्धन/श्रम/ पर्यटन/ न्याय/वन/गृह/
मनोरंजन कर/राजस्व/ पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास/ सूक्ष्म लघु एवं
मध्यम उद्यम, उ.प्र.शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ:दिनांक 30 जून, 2016

विषय:- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रेग्युलेशन के सम्बंध में भारत सरकार की संस्तुति।

महोदय,


कृपया अवगत हों कि वर्ष 2015 में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं वर्ल्ड बैंक द्वारा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य ने देश के प्रथम 10 राज्यों में स्थान बना लिया है। इसी अध्ययन के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग को और अधिक बेहतर बनाए जाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है।

इस दिशा में भारत सरकार द्वारा 'स्टेट बिजनेस रिफार्म ऐक्शन प्लान - इम्प्लीमेंटेशन गाईड फॉर स्टेट' निर्गत की गयी है जिसके अन्तर्गत देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को और अधिक बेहतर एवं सुगम बनाए जाने हेतु विभिन्न संस्तुतियों की गयी हैं।

इस क्रम में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा माह दिसम्बर - 2015 में स्टेट बिजनेस रिफार्म ऐक्शन प्लान - इम्प्लीमेंटेशन गाईड फॉर स्टेट विषय पर निर्गत अभिलेख के अन्तर्गत यह संस्तुति की गयी है कि किसी भी नए बिजनेस रेग्युलेशन को लागू करने से पूर्व, बिजनेस रेग्युलेशन/अध्यादेश/नीति इत्यादि के आलेख्य को वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से आन-लाईन प्रकाशित किए जाने की व्यवस्था करते हुए, लागू किए जाने वाले बिजनेस रेग्युलेशन पर समस्त सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स से टिप्पणी/फीडबैक प्राप्त कर लिया जाए एवं प्राप्त टिप्पणी/फीडबैक को पुनः वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। इस प्रकार प्राप्त फीडबैक पर विचार-विमर्श कर विभागीय मत सहित रेग्युलेशन को वेबसाइट पर अपलोड करने की संस्तुति की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभागों द्वारा भविष्य में लागू की जाने वाली गाईड-लाईन्स अथवा बिजनेस रिफार्म सम्बन्धी प्रक्रियाओं को वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाते हुए उन पर सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स से टिप्पणी/फीडबैक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात् स्टेक होल्डर्स से प्राप्त टिप्पणी/फीडबैक का विभागीय स्तर पर परीक्षण करवाते हुए विभागीय मत सहित वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा यथावश्यक बिन्दुओं का मूल आलेख्य में समावेश कर लिया जाए।

भवदीय,


(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या : ०४९ (१)/७७-६-१४-१६(एम)/२०१४, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- १- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- २- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- ३- निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, १२ सी, मॉल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया बैठक के उपयोगार्थ टिप्पणी समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(हरनाम)

अनु सचिव।